भारत सरकार का रूप पत्र
कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःब0स0 / मान्यता / 596 - 601 / 2020–21 दिनांक 01 - 06 - 2020
प्रबन्धक
दिल्ली पब्लिक स्कूल
एन0एच0–2 आगरा रोड,(नगरक्षेत्र),इटावा।

विषयः– **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **25.09.2019** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **दिल्ली पब्लिक स्कूल,एन0एच0–2 आगरा रोड,(नगरक्षेत्र),इटावा** को **कक्षा–01** से **05** तक **अंग्रेजी** माध्यम के लिए औपबंधिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपाबन्ध–1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी पंजीकरण,भवन तथा कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - (ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नही की जायेगी।
   - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
   - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-

CHAIRMAN
Delhi Public School, Etawah

Principal
Delhi Public School
Etawah

भारत सरकार का रूप पत्र

कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःब0स0 / मान्यता / 354-59 /2020-21 दिनांक 23-05-2020

प्रबन्धक

दिल्ली पब्लिक स्कूल

एन0एच0-2,आगरा रोड,(नगरक्षेत्र),इटावा।

विषय:- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **25.09.2019** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै **दिल्ली पब्लिक स्कूल,एन0एच0-2,आगरा रोड(नगरक्षेत्र),इटावा** को कक्षा-**06** से **08** तक **अंग्रेजी** माध्यम के लिए औपबंधिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009(उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध-2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी पंजीकरण,भवन तथा कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नही की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार है-

CHAIRMAN
Delhi Public School, Etawah

Principal
Delhi Public School
Etawah